



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12822/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सुनील वशिष्ठ डी.3, नवलखा अपार्टमेन्ट, भारत माता पथ, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य अभियंता (प्रशासन) जनस्वास्थ्य अभियान्तिकी विभाग, जल भवन जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 19-02-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अजय सिंह राठौड़, अधिशाषी अभियंता, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 17-3-17 से भूखण्ड संख्या एस-3 सैक्टर 6, डीपीएस स्कूल के पास स्थित नल कूप संख्या 22, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्याधर नगर जयपुर द्वारा जारी/स्वीकृत 3 फेस नल कूप के सम्बन्ध में 7 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 12-2-18 से बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना के सम्बन्ध में विनिश्चय/सूचना का प्रेषण किया गया था। पत्र दिनांक 8-2-18 से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को संसूचित कर दिया गया था कि सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर (जी जोन-II) द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त नल कूप पर कनेक्शन, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, के नाम किया गया था तदनुसार बिन्दु संख्या 1 से 4 का सम्बन्ध जयपुर विकास प्राधिकरण से होने के कारण सूचना का आवेदन वांछित सूचना प्रदान करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर दिया गया था। साक्ष्य के रूप में प्रत्यर्थी ने पोस्ट आफिस द्वारा जारी रसीदों की प्रतियां भी संलग्न कर प्रेषित की है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में पत्र दिनांक 10-1-18 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जारी कर प्रति आयोग को पृष्ठांकित की है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्र दिनांक 8-2-18 एवं अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 12-2-18 की प्रति भी मय संलग्नक प्रस्तुत की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध पत्रादि से स्पष्ट है कि चाही गई सूचना प्रत्यर्थी से सम्बन्धित नहीं थी फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा समुचित कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी एवं सम्बन्धित विभाग को भी संसूचित कर दिया गया है।
8. अपील में प्रत्यर्थी द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त